पत्रांक – मं०मं०–मंत्रिपरिषद–11/2012 – 388

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

प्रेषक

ब्रजेश मेहरोत्रा,
सरकार के सचिव।

सेवा में

सभी सचिव/प्रधान सचिव,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक 13 मई, 2013

विषय :– राज्य गीत (बिहार गीत) के गायन के सम्बन्ध में आवश्यक निदेश।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि सरकार द्वारा बिहार के शताब्दी वर्ष के अवसर पर बिहार के मूर्धन्य कवि श्री सत्यनारायण द्वारा रचित गीत जिसे देश के सुप्रसिद्ध वादक श्री हरि प्रसाद चौरसिया एवं श्री शिव प्रसाद शर्मा द्वारा लयबद्ध किया गया है, को बिहार गीत के रूप में लोकार्पित किया गया है।

बिहार गीत इस प्रकार है :–

मेरे भारत के कंठहार,
तुझको शत–शत वन्दन बिहार।

तू वाल्मीकि की रामायण,
तू वैशाली का लोक तंत्र,
तू बोधिसत्व की करूणा है,
तू महावीर का शांति–मंत्र,
तू नालंदा का ज्ञान–दीप,
तू ही अक्षत–चन्दन बिहार।

तू है अशोक की धर्म–ध्वजा,
तू गुरू गोविन्द की वाणी है,
तू आर्यभट्ट, तू शेरशाह,
तू कुँवर सिंह बलिदानी है,
तू बापू की है कर्म भूमि,
धरती का नंदन वन बिहार।

तेरी गौरव–गाथा अपूर्व,
तू विश्व शान्ति का अग्रदूत,
लौटेगा खोया स्वाभिमान,
अब जाग चुके तेरे सपूत,
अब तू माथे का विजय–तिलक,
तू आँखों का अंजन बिहार।

तुझको शत–शत वन्दन बिहार।
मेरे भारत के कंठहार।।

'बिहार गीत' बिहार प्रान्त के गौरवपूर्ण अतीत के स्मरण एवं इसके उज्जवल भविष्य की शुभेच्छा से परिपूर्ण है। निष्ठापूर्वक इसका गायन एवं इसके प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति बिहारवासियों के लिए गौरव का प्रतीक है।

'बिहार गीत' के गाये जाने/बजाये जाने के अवसर एवं इसके प्रति सम्मान प्रदर्शित किये जाने के संबंध में निम्न निदेश दिये जाते है :–

1. सरकारी समारोहों/कार्यक्रमों में बिहार गीत का ऑडियो ससम्मान बजाया जायेगा। ऐसे अवसरों पर कोरस गान हेतु प्रशिक्षित टोलीयों द्वारा बिहार गीत का गायन भी किया जा सकता है।
2. विद्यार्थियों एवं जनमानस की स्मृति में इसे बनाये रखने के उद्देश्य से बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा प्रकाशित पुस्तकों एवं बिहार डायरी के प्रथम पृष्ठ पर बिहार गीत मुद्रित किया जायेगा।
3. राजकीय विद्यालयों में आयोजित विभिन्न समारोहों एवं कार्यक्रमों में बिहार गीत का गायन किया जा सकता है। राजकीय विद्यालयों में बिहार गीत के कोरस गायन हेतु टोली तैयार की जा सकती है, जो समय–समय पर आयोजित समारोहों में बिहार गीत का गायन कर सकती है।
4. ऐसे अवसरों पर भी जो सरकारी समारोह न हो लेकिन उसमें विशिष्टगण उपस्थित हो, बिहार गीत का गायन किया जा सकता है।
5. गैरसरकारी सार्वजनिक आयोजनों के आरंभ में भी 'बिहार गीत' को गाया / बजाया जा सकता है।
6. इसके गायन के समय उपस्थित जन खड़े होकर राज्य गीत के प्रति सम्मान प्रदर्शित करेंगे।
7. इस पत्र के साथ बिहार गीत का 10–10 ऑडियों–सी०डी० उपलब्ध करा जा रहा है, जिसकी आवश्यकतानुसार अनुकृति तैयार कराते हुए संबंधित पदाधिकारी अपने अधीनस्थ कार्यालयों/संस्थाओं को उपलब्ध करा सकते है।

विश्वासभाजन,

(ब्रजेश मेहरोत्रा) 12/6/13

सचिव,
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग,
बिहार, पटना।